न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/609

1. संज्या देवी पत्नी स्व. श्री नारायण, उम्र करब 75 वर्ष,
2. पूरण पुत्र स्व. श्री नारायण उम्र करीब 61 वर्ष,
3. सरवण उर्फ श्रवण पुत्र स्व. श्री नारायण उम्र करीब 55 वर्ष,
4. नन्दकिशोर पुत्र स्व. श्रीनारायण,

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री विजय सिंह राठौड़, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता , रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 09.11.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 612 मिन रबा 5 बीघा जिसका हाल खसरा नम्बर 695 रकबा 1.25 हैक्टयर कायम हुआ है वाके ग्राम जैतपुर ब्राहाम्ण तहसील थानागाजी जिला अलवर का आवंटन दिनांक 28.06.1976 को भूमिहीन होने के नाते अपीलान्ट के पति एवं पिता स्व. श्री नारायण को किया गया था जिसका पट्टा दिनांक 16.08.1978 को स्व. श्री नारायण के पक्ष मे जारी किया गया जिसका आवंटन के समय आवंटन अधिकारी द्वारा जहॉ मौके पर कब्जा दिया गया था वही पर आवंटन के समय से ही आवंटी नारायण अपने जीवनकल तक काबिज रहकर काश्त करता रहा और उसके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट्स का कब्जा बदस्तूर मौके पर आज तक आवंटी नारायण के जीवनकाल से ही चला आ रहा है उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 31 गैर खातेदारी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.10.1978 को दर्ज किया गया लेकिन तहसीलदार थानागाजी ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 31 को अपीलान्ट्स के पिता/पति नारायण को बिना सुनवाई का अवसर दिये विधि विरूद्ध तरीके पर खिलाफ मौका कब्जा दिनांक 06.12.1978 को खारिज फरमा दिया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदर के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसे अपील को मेरिट पर निर्णय नही करके अधीनस्थ न्यायालय ने महज धारा 96 सी.पीसी. के तहत अपील पेश करने की इजाजत लिये बिना पेश किये जाने का बेजा आधार बनाकर मनमाने व विधि विरूद्ध तरीके पर अपील को खारिज फरमाया गया है बल्कि अपीलान्ट्स को अपील पेश करने हेतु धारा 96 सी.पी.सी. के तहत इजाजत लेने की कानूनन कोई आवश्यकता ही नही थी क्योंकि अपीलान्ट आवंटी स्व नारायण के विधिक वारिसान है और वारिस

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

काबिज जायदाद है तथा स्व0. नारायण की फुटबैक पर ही अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2022 को एवं तहसीलदर थानागाजी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 31 पर पारित आदेश दिनांक 06.12.1978 निरस्त फरमाया जाकर आराजी साबिक खसरा नम्बर 612 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 695 रकबा 1.25 हैक्टयर वाके ग्राम जैतपुर ब्राहाम्ण तहसील थानागाजी की बाबत नामान्तरकरण संख्या 31 अपीलान्ट्स के पक्ष में स्वीकार किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण सख्या 31 की कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट तहसीलदार थानागाजी के समक्ष पक्षकार नही थे तथा किसी भी न्यायालय के निर्णय से यदि कोई पक्षकार पीड़ित है और वह उस न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही रहा है है तो ऐसे पक्षकार को अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करन से पूर्व अपील प्रस्तुती की इजाजत लेने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत करना कानूनन आवश्यक होता है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत ही नही किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को गुणावगण पर निस्तारण नही कर केवल अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र धारा 96 प्रस्तुत नही करने के अभाव में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट्स द्वारा अपने पूर्वज आवंटी स्व. नारायण के वारिसान है तथा उनके द्वारा अपने पूर्वज आवंटी स्व. नारायण के वारिसान की हैसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती हेतु अलग से प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने की कानूनन आवश्यकता ही नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2022 विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावजाते इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

9/11/22

संभागीय आयुक्त
जयपुर।